The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1965

Act 10 of 1965

Keyword(s):
Electoral Registration Officer, Assistant Electoral Registration Officer

Amendments appended: 31 of 1972, 37 of 1978, 17 of 1990, 21 of 1998, 27 of 1999, 12 of 2004

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

113404

15/65 '10

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1965

(U. P. ACT NO. X OF 1965)

[*Authoritative English Text* of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1965*]

AN

ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

U. P. Act no. XXVI of 1947.

It is hereby enacted in the Sixteenth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1965.

Amendment of section 15 of U. P. Act no. XXVI of 1947.

2. In section 15 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 (hereinafter referred to as the principal Act) the fullstop at the end of clause (*t*) shall be substituted by a semi-colon and the following shall thereafter be added as new clauses :—

"(*u*) construction, repair and maintenance of such small irrigation projects of such classes or types thereof, as may be specified by the State Government by general or special order in this behalf, and regulation of supply of water therefrom for irrigation purposes ;

(*v*) maintenance and repair of walls, *bunds* , raised platforms and other works for protection from floods."

Amendment of section 17 of U. P. Act XXVI of 1947.

3. In section 17 of the principal Act, *for* clause (*e*) the following shall be substituted, namely—

"(*e*) with the sanction of the prescribed authority and where a canal exists under the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects in addition to those specified by order under clause (*u*) of section 15;"

---

*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated February 9, 1965.

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on February 15, 1965 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 7, 1965.

Received the Assent of the Governor on April 28, 1965 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 30, 1965.

Amendment of section 37 of U. P. Act XXVI of 1947.

4. In section 37 of the principal Act, in sub-section (1)—

(*a*) *for* clause (*h*) the following shall be substituted, namely—

"(*h*) a water rate where water for domestic consumption is supplied by the gaon sabha ; " ; and

(*b*) *after* clause (*j*) the following shall be added as new clause (*k*)—

"(*k*) an irrigation rate where water for irrigation purposes is supplied by the Gaon Sabha from any small irrigation project constructed or maintained by it."

PSUP—A. P. 17 Genl. (Leg.)—1965. 1 862. (M)

Cop·3

135869

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1972)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25–7–1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2–8–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11–8–1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 12-बी बी का संशोधन

2—यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12-बी बी में शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों" के स्थान पर शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप-प्रधानों" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 में नयी धारा 12-बी सी और 12-बी डी का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 12-बी बी के पश्चात् निम्नलिखित धाराऐं बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

"12-बी सी—(1) निर्वाचन निदेशक (पंचायत) के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप प्रधानों के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

निर्वाचन कराने से संबंधित अन्य उपबंध

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

(3) इसी प्रकार निर्वाचन निदेशक (पंचायत) राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

12-बी डी—(1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने पदीय कर्त्तव्य भंग करने में युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जा सकेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

निर्वाचन के सम्बन्ध में पदीय कर्त्तव्य भंग

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 21 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने, या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय, और इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'पदीय कर्त्तव्य' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्त्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्त्तव्य नहीं हैं ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 176 जनरल (लेग)—1972—1,884+50 (मे०) ।

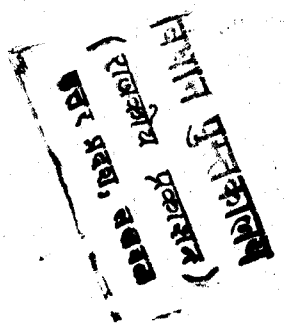

165062
L.A.
15/78.37 H
cop. 2

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 9 खण्ड (क) में दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह 25 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 13 सितम्बर, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खड (क) देखिये।)

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, सन् 1947 की धारा 1 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (2) में,—

(क) शब्द "उस क्षेत्र के जो" के पश्चात् शब्द "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन नगर अथवा" रख दिये जायेंगे,

(ख) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (ग) में, शब्द "दाण्डिक कार्यवाही से है" के पश्चात् शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा 53 के अधीन कोई कार्यवाही भी है" रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(झ) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नाम-निर्दिष्ट या पदाभिहित अधिकारी से है ;";

(ग) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ट) किसी न्याय पंचायत के निर्देश में, 'मुन्सिफ' और 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य, यथास्थिति, उस मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट से है जिसकी ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल या आपराधिक वादों के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारिता हो ;";

(घ) खंड (ड) निकाल दिया जायगा, ;

(ङ) खण्ड (ब) निकाल दिया जायगा।

धारा 5-ए का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5-ए में,—

(क) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाय, गांव सभा, क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह गांव पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र समिति या जिला परिषद् के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो,";

(ख) खण्ड (झ) में, शब्द और अंक "1898 की" के पश्चात् शब्द और अंक "या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की," रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ठ) में, शब्द "अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955" के स्थान पर शब्द "प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955" रख दिये जायेंगे ;

(घ) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "बकायों का भुगतान कर दिये जाने," के स्थान पर शब्द, "यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द "म्युनिसिपैलिटी" के स्थान पर शब्द "नगर, म्युनिसिपैलिटी" रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"9—(1) प्रत्येक गांव सभा के लिए एक निर्वाचक नामावलि होगी जो निर्वाचन निदेशक (पंचायत) के पर्यवेक्षण में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट करे।

गांव सभा की निर्वाचक नामावलि

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसी निर्वाचक नामावलि को नियत रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई गांव सभा की निर्वाचक नामावलि होगी।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावलि तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो गांव सभा के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:—

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि गांव सभा के क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगा कि वह उस गांव सभा क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में गांव सभा के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिये कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं अन्य तथ्यों पर जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जायगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावलि से तत्काल काट दिया जायगा जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया हो, उस नामावलि में तत्काल फिर से रख दिया जायगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावलि प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में, या एक ही गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में एक से अधिक बार, रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलि में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया है।

(8) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावलि की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलि में परिवर्द्धित किया जाना चाहिये, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन और निर्वाचन निदेशक (पंचायत) द्वारा यदि इस निमित्त कोई सामान्य या विशेष निदेश दिये जायं तो उनके अधीन रहते हुए, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन गांव सभा के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व, नहीं किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा।

(9) निर्वाचन निदेशक (पंचायत), यदि वह सामान्य या उपनिर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गांव सभा की निर्वाचक नामावलि, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।

(10) गांव सभा निर्वाचक नामावलि में किसी नाम को सम्मिलित करने, निकालने या शुद्ध करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील जिला मैजिस्ट्रेट को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की जा सकेगी।

(11) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्वाचक नामावलि से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावलि के प्रवृत्त होने का दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) निर्वाचक नामावलि में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी गलती की शुद्धि;

(घ) निर्वाचक नामावलि में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना—

(एक) जिसका नाम गांव सभा से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित हो किन्तु गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में गलती से सम्मिलित किया गया हो; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित न हो किन्तु जो गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण;

(च) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण;

(छ) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस;

(ज) निर्वाचक नामावलियां तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी :—

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की, या उपधारा (10) के अधीन किसी अपील प्राधिकारी या किसी ऐसी नामावलि के पुनरीक्षण के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना" ।

नई धारा 11-ङ का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 11-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"11—ङ—(1) कोई व्यक्ति गांव सभा का प्रधान, गांव पंचायत का सदस्य या न्याय एक साथ दो पद पंचायत का पंच निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किये जाने या ऐसा पद धारण करने पर धारण करने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

अग्रतर रोक

(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है; या

(ख) किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या उप प्रमुख है; या

(ग) किसी जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।

(2) कोई व्यक्ति यदि बाद में उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से, यथास्थिति, गांव सभा के प्रधान, गांव पंचायत के सदस्य या न्याय पंचायत के पंच के पद पर नहीं रह जायगा और तदुपरान्त, यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी।"

धारा 12 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (7) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि गांव पंचायत में कोई महिला सदस्य निर्वाचित न हो तो गांव पंचायत के निर्वाचित सदस्यगण गांव सभा की महिला सदस्याओं में से एक महिला सदस्या सहयोजित करेंगे और तदुपरान्त गांव पंचायत के संघटन में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा 12-ख का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12-ख में, शब्द "प्रान्तीय रक्षक दल," के स्थान पर शब्द "प्रादेशिक विकास दल" रख दिये जायेंगे।

धारा 12-ग का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक

या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है, अर्थात्—

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है ;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान् अनियमितता से कार्य किया है ।

(7) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिये आवेदन-पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है ।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेर-फार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिये विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय, अन्तिम होगा ।"

धारा 12-ञ का प्रतिस्थापन

11—मूल अधिनियम की धारा 12-ञ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"12-ञ (1) जहां प्रधान का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने, या त्याग-पत्र देने के कारण या अन्यथा रिक्त हो, या जहां प्रधान अनुपस्थिति या बीमारी के कारण या अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो, वहां उप प्रधान, प्रधान की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबन्ध

(2) जहां प्रधान और उप प्रधान दोनों का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, या प्रधान और उप प्रधान दोनों ही किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों, वहां नियत प्राधिकारी, जब तक कि या तो प्रधान या उप प्रधान के पद की ऐसी रिक्ति भरी न जाय या जब तक कि दोनों में से किसी की असमर्थता दूर न हो जाय, तब तक प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये गांव पंचायत के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट करेगा ।"

धारा 14-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 14-क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दंड";

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर, यथास्थिति, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी जानबूझकर चूक करता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।"

धारा 15 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 15 में, खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(थ) प्रसूति और शिशु कल्याण और परिवार कल्याण की प्रोन्नति;" ।

धारा 16 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 16 में, खण्ड (थ) में, शब्द "जिला परिषद् की पूर्व स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद् और नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से" रख दिये जायेंगे ।

धारा 19-क का बढ़ाया जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 19-क निकाल दी जायगी ।

धारा 25-क का प्रतिस्थापन

16—मूल अधिनियम की धारा 25-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"25-क—राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति दी जाय, प्रत्येक गांव पंचायत या गांव पंचायतों के समूह के लिए एक पंचायत सेवक नियुक्त करेगा, जो ऐसी गांव पंचायत या गांव पंचायतों, सम्बद्ध गांव सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी सर्किल में ऐसी गांव सभायें स्थित हों, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा, और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं।"

पंचायत सेवक

धारा 27 का प्रतिस्थापन

17—मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"27—(1) प्रत्येक गांव सभा का प्रधान या उप प्रधान, इस अधिनियम के अधीन संघटित गांव पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथा-स्थिति, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो :

अधिभार

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने से दस वर्ष की समाप्ति, या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाय पांच वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात् ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा।

(2) नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाय, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण-पत्र भेजेगा जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा।

(3) अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाय, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।"

धारा 36 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 36 में, शब्द "अथवा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक" के पश्चात् शब्द "या किसी अन्य गांव सभा" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (1) में,—

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात्—

"गांव सभा एतद्पश्चात् दिये गये खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेगी और खंड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात्—";

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिए कर ;"।

धारा 40 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द "ऐसी रीति से" के पश्चात् शब्द "और ऐसी फीस का भुगतान करने पर" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898", के स्थान पर शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंग।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों तो उनमें से कोई एक सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करता हो अथवा व्यापार करता हो" के स्थान पर शब्द "प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों तो सभी प्रतिवादी, सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करते हों या व्यापार करते हों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 54 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (2) में, जहां कहीं भी शब्द "एक सौ रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 59 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 59 में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "1898 की" के पश्चात् शब्द और अंक "या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की" रख दिये जायेंगे ।

धारा 63 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 63 में, अंक "1898" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायेंगे ।

धारा 69 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 69 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(2) न्याय पंचायत द्वारा आदेशित कोई दोष सिद्धि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अनर्हता या शास्ति के रूप में न तो प्रवर्ती होगी और न उसका आधार ही होगी।"

धारा 74 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 74 में,—

(क) जहां कहीं भी शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" आये हों उनके स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "वादी अथवा आवेदक अथवा परिवादी" के स्थान पर शब्द "परिवादी या वादी" रख दिये जायेंगे ;

(ग) शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ।

धारा 74-क का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 74-क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "या राजस्व वाद" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "राजस्व वादों तथा" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 75 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "कोई सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "कोई सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 77-क का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 77-क में, उपधारा (1) में, शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे ।

धारा 78 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 78 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) यदि सुनवाई के लिये निश्चित समय और स्थान सूचित किये जाने के बाद भी, यथास्थिति, वादी या परिवादी उपस्थित न हो तो न्याय पंचायत वाद को खारिज कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "प्रतिवादी, अभियुक्त अथवा प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे।

धारा 79 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 79 में, उपधारा (2) में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ।

धारा 81 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जावेंगे ।

धारा 83 का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) जहां कहीं भी शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र" रख दिया जायगा;

(तीन) शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंगे;

(चार) शब्द और अंक "भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908" के स्थान पर शब्द और अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, अंक "1898" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) जहां न्याय पंचायत की राय में, कोई पक्ष मामले के निस्तारण में जानबूझकर बिलम्ब करता है, वहां वह ऐसे पक्ष पर पांच रुपये से अनधिक का खर्च आरोपित कर सकती है जो दूसरे पक्ष को देय होगा।"

धारा 85 का संशोधन

34—मूल अधिनियम की धारा 85 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे; और

(तीन) शब्द "मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) जहां कोई आपराधिक या सिविल वाद उपधारा (1) के अधीन वापस ले लिया गया हो, वहां वह न्यायालय, जो तत्पश्चात् उसका विचारण करे, या तो उसका पुनर्विचारण कर सकता है या उस प्रक्रम से विचारण प्रारम्भ कर सकता है, जहां से उसे वापस ले लिया गया था।";

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे।

धारा 86 का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 86 में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद या राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे।

धारा 88 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 88 में, जहां कहीं भी शब्द "अथवा राजस्व वाद" आये हों, उन्हें निकाल दिया जायगा।

धारा 89 का संशोधन

37—मूल अधिनियम की धारा 89 में,—

(क) जहां कहीं भी शब्द "सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी" या शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "आपराधिक, सिविल अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "सिविल, आपराधिक या राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(5) धारा 95 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में यह निष्कर्ष देता है कि न्याय पंचायत के किसी पंच या पंचों ने (जिसके अन्तर्गत कोई सरपंच भी है) उक्त मामले के संबंध में, जिसके कारण पुनरीक्षण करना पड़ा हो, ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो उसके या उनके पद के लिये अनुचित है, वहां नियत प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष के आधार पर ऐसे पंच या पंचों को हटा सकता है, और यह आवश्यक न होगा कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उसे या उन्हें कारण बताने का कोई अवसर दिया जाय।"

धारा 90 का संशोधन

38—मूल अधिनियम की धारा 90 में, शब्द "अथवा प्रतिपक्ष" और शब्द "अथवा आवेदक" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 93 का संशोधन

39—मूल अधिनियम की धारा 93 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "अथवा प्रतिपक्ष" निकाल दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "यथास्थिति, उस मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उस मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "यथास्थिति मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुंसिफ" रख दिया जायगा ।

धारा 94 का संशोधन

40—मूल अधिनियम की धारा 94 में, शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे ।

धारा 94-क का संशोधन

41—मूल अधिनियम की धारा 94-क में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 99 का संशोधन

42—मूल अधिनियम की धारा 99 में, उपधारा (1) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपए" रख दिये जायेंगे ।

धारा 110 का संशोधन

43—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (2-ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(2-ग) धारा 12-ग के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिये आवेदन-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण;";

(ख) खण्ड (40) में, शब्द "गांव पंचायत के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग का किसी" के पश्चात् शब्द, "नगर," बढ़ा दिया जायगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

44—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आपराधिक वाद से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 85 या धारा 89 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन हो और प्रत्येक आपराधिक वाद जो उपर्युक्त किसी धारा के अधीन दिये गये आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे दिनांक को उसके समक्ष विचाराधीन हो, अधिकारितायुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अन्तरित हो जायेगा जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका निस्तारण करेगा ।

निरसन और अपवाद

"45—(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 26, सन् 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे ।"

की0एस0यू0पी0—ए0पी0 121 सा0 (विधा0) 13-8-79—(1606)—1979—1839+50 SS (मेक0) ।

No. 1763(2)/XVII-V—1-1(KA)-15-1990

Dated Lucknow, July 16, 1990

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pealsed to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1990) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 13, 1990:

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1990

[U. P. ACT no. 17 OF 1990]

(*As passed by the U. P. Legislature*)

AN

ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-first year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 21, 1990.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 26 of 194

2. In section 2 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, clause (i) shall be *omitted*.

Substitution of section 9

3. *For* section 9 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"9. The electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the People Act, 1950 for the time being in force, so far as it relates to the area of a Gaon Sabha shall be the electoral roll for that Gaon Sabha :

Electoral roll for Gaon Sabha

Provided that any correction, deletion or addition made in the electoral roll, after the last date for making nomination for any election in the Gaon Sabha and before the completion of that election, shall not be taken into consideration for the purposes of that election."

Substitution of section 12-B B.

4. *For* section 12-BB of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"12-BB. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the superintendence, direction and control of the conduct of all elections of members, of Gaon Panchayat and Pradhans and Up-Pradhans of Gaon Sabhas shall be vested in the Nirvachan Nideshak (Panchayat)."

Superintendence of election

Repeal and saving.

5. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1990, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

यू० पी०—ए० पी० 118 सा० विधा०—(1309)—1990—850 (सेक०) ।

No. 1305 (2)/XVII-V-1—1(KA)-12-1998

Dated Lucknow, July 10, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1998.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1998

[U. P. Act No. 21 of 1998]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

It is hereby enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 5, 1998.

Amendment of section 5-A of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In section 5-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*c*) *for* the words "local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat", the words "local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat or a Board, Body or Corporation owned or controlled by a State Government or the Central Government" shall be *substituted*.

Amendment of section 14

3. In section 14 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "members present and voting" the words "all the then members" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (3) *for* the words "a year" the words "two years" shall be *substituted*.

Amendment of section 95

4. In section 95 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*g*), *after* sub-clause (iii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:—

"(*iii-a*) has taken the benefit of reservation under sub-section (2) of section 11-A or sub-section (5) of section 12, as the case may be, on the basis of a false declaration subscribed by him stating that he is a member of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be;"

U. P. Ordinance no. 4 of 1998

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पो० एस० यू० पो० —ए० पो० 63 सा० विधा०—(729)—1998—850 (मेके०)

No. 1476 (2)/XVII-V-1—1(KA) 27-1999

Dated Lucknow, July 19, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1999.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT No. 27 OF 1999)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in [the Fiftieth Year of Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 27, 1999.

Substitution of sections 25 and 25-A of U. P. Act no. 26 of 1947

2. *For* sections 25 and 25-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:—

"25. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any Uttar Pradesh Act, rules, regulations, or bye-laws or in any judgement, decree or order of any court,—

Staff

(*a*) the State Government may, by general or special order, transfer any employee or class of employees serving in connection with the affairs of the State to serve under Gram Panchayats with such designation as may be specified in the order and thereupon posting of such employee or employees in Gram Panchayats of a district shall be made by such authority in such manner as may be notified by the State Government.

(b) the employee or employees on being so transferred and posted in a Gram Panchayat, shall serve under the supervision and control of the Gram Panchayat on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to retirement benefits and other matters including promotion as would have been applicable to him immediately before such transfer and shall perform such duties as may be specified from time to time by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), a Gram Panchayat may, after prior approval of the prescribed authority, appoint from time to time such employee as may be considered necessary for efficient discharge of its functions under this Act in accordance with such procedure as may be prescribed :

Provided that the Gram Panchayat shall not create any post except with the previous approval of the prescribed authority.

(3) The Gram Panchayat shall have power to impose punishment of any description upon the employees appointed under sub-section (2) subject to such conditions and restrictions and in accordance with such procedure as may be prescribed.

(4) The Gram Panchayat may delegate to the Pradhan or to any of its Committees, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any minor punishment upon the employees appointed under sub-section (2).

(5) An appeal from an order imposing any punishment on an employee under sub-section (3) shall lie to such officer or committee as may be specified by the State Government by notification.

(6) The prescribed authority may, subject to such conditions as may be prescribed, transfer any employee referred to in clause (b) of sub-section (1) from one Gram Panchayat to any other Gram Panchayat within the same district and the State Government or such other officer as may be empowered in this behalf by the State Government may similarly transfer any such employee from one district to another.

(7) A Nyaya Panchayat may, with the previous approval of the prescribed authority, appoint any person on its staff in the manner prescribed. The person so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority who shall have power to transfer, punish, suspend, discharge or dismiss him.

(8) Appeal shall lie from an order of the prescribed authority punishing, suspending, discharging or dismissing a person under sub-section (7) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

"25-A The State Government, or such officer or authority as may be empowered by it in this behalf shall appoint a Secretary from amongst the employees referred in clause (b) of sub-section (1) or sub-section (2) of section 25, who shall act as secretary of such Gram Panchayat or Gram Panchayats, the Gram Sabhas concerned and the Nyaya Panchayats within whose territorial limits such Gram Panchayats are situated and perform such other duties as may be specified by the State Government or such officer or authority as may be empowered in this behalf by the State Government."

Secretary

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी० -ए० पी० 74 सा० विधा० -- (737) -- 1999 -- 850 (मैक०) ।

No. 1061(2)/XVII-V-1–1(KA)-18–2004

Dated Lucknow, July 30, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 2004.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2004

(U.P. ACT NO. 12 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 5, 2004.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In section 2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause *(e)*, the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"*(ee)* 'Electoral Registration Officer' means an officer designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government for preparing and revising the electoral rolls in a district;

(eee) 'Assistant Electoral Registration Officer' means a person appointed as such by the Electoral Registration Officer for one or more Panchayat areas."

Amendment of section 9

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (8) *for* the words "State Election Commission", the words "Electoral Registration Officer or Assistant Electoral Registration Officer" shall be *substituted*.

U.P. Ordinance no. 11 of 2004

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The power to make alteration, addition or modification in an electoral roll has been vested in the State Election Commission under section 9 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 but practically the work of alteration, addition or modification in an electoral roll is being done by the Electoral Registration Officer. In the Acts relating to urban local bodies provides for making alteration, addition and modification in an electoral roll by the Electoral Registration Officer. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for defining the Electoral Registration Officer and the Assistant Electoral Registration Officer and for empowering the Electoral Registration Officer and the Assistant Electoral Registration Officer to correct, delete or add any entry of an electoral roll.

Since the State Legislature was not in Session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 11 of 2004) was promulgated by the Governor on July 2, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 276 राजपत्र (हि०–(696)–2004–597–कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 98 सा० विधायी–(697)–31.7.2004–850–कम्प्यूटर/आफसेट।